द इंडिया ताइपे एसोसिएशन

और

नई दिल्ली, भारत स्थित ताइपे आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र

के बीच

भारतीय श्रमिकों को रोजगार की सुविधा प्रदान करने के संबंध में

समझौता ज्ञापन

ताइपे में भारत ताइपे एसोसिएशन (जिसे इसके पश्चात "आईटीए" कहा गया है) और भारत स्थित ताइपे आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र (जिसे इसके पश्चात "टीईसीसी" कहा गया है), जिन्हें इसके पश्चात "दोनों पक्षकार" कहा गया है,

दोनों पक्षकारों के बीच मैत्रीपूर्ण और सहयोगी संबंधों को **ध्यान में रखते हुए;**

जनशक्ति के क्षेत्र में सहयोग के माध्यम से दोनों पक्षकारों के बीच मौजूदा मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाने की **इच्छा से;**

आईटीए के प्रतिनिधित्व वाले भूक्षेत्र के श्रमिक, जो टीईसीसी के प्रतिनिधित्व वाले भूक्षेत्र में काम कर रहे हैं, की व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वतंत्रता **सुनिश्चित करने के लिए;**

घनिष्ठ सहयोग से होने वाले लाभों को **पहचान करते हुए;**

दोनों पक्षकारों के प्रचलित कानूनों और विनियमों **के अनुसार,**

निम्नवत सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य कामगारों की भर्ती, तैनाती और संरक्षण की सुविधा प्रदान करना और पारस्परिक लाभ के लिए संबंधों को आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करना है।

इस समझौता ज्ञापन के प्रयोजनार्थ:

"रोजगार का अनुबंध"से आशय नियोक्ता और कामगार के बीच किए गए रोजगार के अनुबंध से है।

"नियोक्ता"से आशय टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र के कानूनों के तहत निगमित एक कंपनी या टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने वाले किसी भी एक कामगार से है।

"कामगार"से आशय भारत के एक नागरिक से है, जिसका चयन नियोक्ता द्वारा किया गया है और रोजगार के किसी अनुबंध के तहत टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र में काम करने के लिए नियोक्ता द्वारा नियोजित किया जाना है।

अनुच्छेद 2

दोनों पक्षकार टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र में काम करने के लिए भारतीय कामगारों की भर्ती करने के लिए सहमत हैं; व्यवसाय श्रेणियां और कोटा टीईसीसी के स्व-निर्णय पर आधारित है।

अनुच्छेद 3

जिन कामगारों को टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व वाले भू-क्षेत्र में काम करने की अनुमति है, वे घरेलू कामगारों के समान व्यवहार , नियोक्ता द्वारा अनिवार्य सामाजिक बीमा की खरीद के अध्यधीन जब कामगार टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व वाले भू-क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो संबंधित सभी मामलों के संबंध में रोजगार परमिट की वैध अवधि के दौरान टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र के नियमों और विनियमों के तहत कामकाजी संबंध और स्थितियों, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कार्यस्थल संबंधी सुरक्षा और संरक्षण के हकदार होंगे।

टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र में नियोजित कामगारों को रोजगार से संबंधित सभी कानूनों, नियमों, विनियमों, राष्ट्रीय नीतियों और निर्देशों का पालन करना होगा।

कामगार, टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र के मौद्रिक विनियमों के मापदंडों के तहत, भारत में अपनी आय को परिवर्तनीय मुद्रा में स्थानांतरित करने में सक्षम होंगे।

रोजगार के अनुबंध की यथोपरि कोई भी निबंधन और शर्तें नियोक्ता और कामगार के मध्य लागू किसी भी मौजूदा रोजगार अनुबंध को प्रभावित या अमान्य नहीं करेगी।

नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि कामगार को दिया गया वेतन टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व वाले भू-क्षेत्र में वेतनमान पर लागू विनियमों के अनुसार है।

अनुच्छेद 4

दोनों पक्षकार टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र के कानूनों और विनियमों के अनुपालन और कामगारों तथा नियोक्ताओं द्वारा अनुबंध दायित्वों की पूर्ति की गारंटी के लिए ठोस और प्रभावी उपाय प्रदान करेंगे।

दोनों पक्षकार विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 और उसके तहत बनाए गए नियमों सहित भारत ताइपे एसोसिएशन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए क्षेत्र के प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का पालन करेंगे।

अनुच्छेद 5

दोनों पक्षकार कामगारों की सुरक्षा के लिए और संबंधित घरेलू कानूनों के अनुसार इस समझौता ज्ञापन में विनियमित कामगारों को काम पर रखने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे।

अनुच्छेद 6

टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र में कामगारों और नियोक्ताओं के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी श्रम विवाद को टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र में कानूनों और विनियमों के अनुसार समाधान किया जाएगा।

अनुच्छेद 7

दोनों पक्षकार ने कामगारों के लिए चिकित्सा जांच करने हेतु क्रमशः प्रत्येक पक्षकार द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र में अस्पतालों को निर्दिष्ट करने पर सहमति व्यक्त है। स्वास्थ्य परीक्षण मदों के लिए, निर्दिष्ट अस्पतालों को अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग/राष्ट्रीय परीक्षण और जांच प्रयोगशाला किए गए प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) के पारस्परिक प्रत्यापन करार के तहत प्रत्यापन प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए वैध प्रत्यापन प्राप्त करना अपेक्षित है।

सभी चिकित्सा परीक्षण और प्रक्रियाओं के साथ-साथ कामगारों की चिकित्सा परीक्षाओं के परिणाम दोनों पक्षकारों द्वारा निर्धारित और प्रत्यापन प्राप्त निबंधन एवं शर्तों द्वारा शासित होंगे।

टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र में कामगारों द्वारा किए जाने वाले चिकित्सा व्यय को मौजूदा नियमों के अनुरूप स्वास्थ्य बीमा द्वारा वहन किया जाएगा। कर्मचारियों के पास दुर्घटना बीमा द्वारा एक अच्छा जीवन एवं स्वास्थ्य कवर होना चाहिए, जो कर्मचारी और नियोक्ता के बीच निष्पादित हो और अनुबंध की अवधि के दौरान नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया हो। बीमा में स्वास्थ्य, मृत्यु/दुर्घटना आदि के कारण अपंगता आदि के खर्चों सहित व्यय शामिल होने चाहिए। स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर नहीं किए गए किसी भी अन्य खर्च को नियोक्ताओं और कामगारों के मध्य उनके संबंधित अंशदान के संबंध में टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र के कानूनों और विनियमों के अनुसार हल किया जाएगा। इसके अलावा, जब कामगार व्यय वहन कर पाने में सक्षम ना हो, तो इसे आईटीए के सहयोग से हल किया जाएगा।

अनुच्छेद 8

मौजूदा भर्ती प्रणाली के अलावा, दोनों पक्षकार प्रत्यक्ष भर्ती कार्यक्रम को बढ़ावा देने, प्रक्रियाओं को छोटा करने, दस्तावेजों को सरल बनाने, पुनर्प्रवेश भर्ती कार्यक्रम को वरीयता देने और प्रत्यक्ष भर्ती कार्यक्रम में व्यवसाय की विषय-वस्तु का विस्तार करने के

लिए सहमत हैं जब इसे पक्षकारों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्रों के नियमों द्वारा अनुमति दी जाती है।

भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने में नियोक्ताओं और कामगारों की सहायता के लिए दोनों पक्षकार सीधी भर्ती कार्यक्रम एकल के लिए खिड़की और श्रम चयन तंत्र स्थापित करेंगी।

अनुच्छेद 9

जिन भारतीय कामगारों पर यह एमओयू लागू होता है, वे टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व वाले भू-क्षेत्र के लागू घरेलू कानून (कानूनों) के तहत स्थापित सामाजिक सुरक्षा अवसंरचना के अधीन हैं।

दोनों पक्षकारों ने कामगारों को शोषण के साथ-साथ मानव तस्करी का शिकार बनने से रोकने और सूचना साझा करने, तस्करी के विरोध को बढ़ावा देने और पीड़ितों की सुरक्षित घर वापसी के लिए आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की।

अनुच्छेद 10

टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र के कानूनों और विनियमों के अनुसार, टीईसीसी के भू-क्षेत्र के भीतर गैर-दस्तावेज वाले कामगारों को आश्रय देने और प्रत्यावर्तित करने के मामलों की जिम्मेदारी टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र की है। गैर-दस्तावेजी वाले कामगारों द्वारा आश्रय और प्रत्यावर्तन व्यय का भुगतान कानून के अनुसार किया जाएगा। उक्त कामगार के खर्चों का भुगतान करने में असमर्थ होने की स्थिति में, आईटीए निपटान की सुविधा के लिए सहायता प्रदान करेगा।

आईटीए टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र के भीतर अपने गैर-दस्तावेजी वाले कामगारों द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय के निपटारे की सुविधा के लिए सहायता प्रदान करेगा।

अनुच्छेद 11

एक संयुक्त समन्वय और सूचना आदान-प्रदान कार्य समूह स्थापित किया जाएगा, (जिसका इसके बाद संयुक्त कार्य समूह के रूप में उल्लेख किया गया है), जिसमें इस समझौता ज्ञापन के संबंध में मामले से संबंधित दोनों पक्षकारों के संबंधित प्राधिकरी शामिल होंगे,

संयुक्त कार्य समूह संभावित रिक्तियों, क्षेत्रों, कौशल आवश्यकताओं के साथ-साथ दोनों पक्षकारों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्रों में लागू घरेलू कानूनों और किसी भी प्रक्रिया के बारे में प्रासंगिक सूचना का आदान-प्रदान करेगा जो इस समझौता ज्ञापन में निर्धारित प्रावधानों को प्रभावित कर सकता है और किसी भी उत्पन्न होने वाली समस्याआें को हल करने की जिम्मेदारी लेगा।

संयुक्त कार्य समूह की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार, किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर, आपसी सहमति की शर्तों और तारीखों के अनुसार होगी।

अनुच्छेद 12

इस समझौता ज्ञापन के निर्वचन या कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को दोनों पक्षकारों के बीच परामर्श या बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा।

अनुच्छेद 13

इस समझौता ज्ञापन में संशोधन या परिशोधन किया जा सकता है। कोई भी पक्षकार लिखित में संशोधन या परिशोधन का अनुरोध कर सकता है। दोनों पक्षकारों के कानूनों और विनियमों के अनुरूप दोनों पक्षकारों द्वारा सहमत कोई भी संशोधन इस समझौता ज्ञापन का एक अभिन्न अंग होगा।

यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तारीख से पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा, जो दोनों पक्षकारों के आपसी समझौते द्वारा समान अवधि के लिए विस्तार के अधीन होगा।

कोई भी पक्षकार वैधता की अवधि के भीतर और समाप्ति की तारीख से कम से कम नब्बे (90) दिन पहले लिखित नोटिस देकर इस समझौता ज्ञापन को समाप्त कर सकता है।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी ने विधिवत प्राधिकृत होते हुए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

ताइपे में 2024.2.16 पर चीनी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रतियों में हस्ताक्षरित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन में भिन्नता के मामले में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

ताइपे में भारत ताइपे एसोसिएशन की ओर से

बौशुआन गेर
प्रतिनिधि

भारत स्थित ताइपे आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र की ओर से

मनहरसिंह लक्ष्मणभाई यादव
महानिदेशक